न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 368/2018

वादीगण :–

1. रामकुंवार पुत्र श्री पुरखाराम
2. जयप्रकाश पुत्र श्री रामकुंवार
3. महिपाल पुत्र श्री रामकुंवार

सभी जाति जाट, निवासीगण सोगावास

तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पुरखाराम गोदपुत्र श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी सोगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. तहसीलदार, मेड़ता।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–31.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू है, सभी एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है। सभी स्व. रामकरण जी के वारिसान है। मौजा सोगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 214 रकबा 2.93 हैक्अेयर तथा मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 230 रकबा 5.98 हैक्टेयर, खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 231 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 4.68 हैक्टेयर की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद भूमि आयी हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का सहुलियत से अलग–अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की गई हे। नकल खतोनी साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादीगण के दादा व परदादा रामकरण की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। रामकरण जी का स्वर्गवस हो चुका है। रामकरण जी के स्वर्गवास के बाद मुतनाजा आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहुलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब पांच वर्ष पूर्व कर लिया है, जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। वादग्रस्त खसरान की खातेदारी माफिक बंटवाड़ा के दर्ज नही है तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अलग–अलग काश्त व कब्जा है तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है। मगर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवाड़ा अभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ है। जिससे वादीगण यह वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश करते है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का सहुलियत से अलग–अलग है। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसलिये वादीगण यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा

Scanned by CamScanner

संख्या 4 में वर्णितानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग–अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है। जिससे इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा सोगावास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 131, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 700, मौजा सोगावास की जमाबंदी सम्तव् 2037 से 2040, खाता संख्या 160, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039, खाता संख्या 1122, 73, मिलान क्षेत्रफल मेड़ता व सोगावास की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह धोला ने वकालतनामा पेश किया। वादी संख्या 1 व 3 स्वयं व वादी संख्या 2 की ओर से वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का शपथ–पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित से दिनांक 30.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक

Scanned by CamScanner

अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी संख्या 1 रामकुंवार के बंट में :–** मौजा सोगावास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 214 रकबा 2.93 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **वादी संख्या 2 व 3 जयप्रकाश व महिपाल के बंट में :–** मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 230 रकबा 5.98 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 231 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।।

6.(3) **प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के बंट में :–** मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 328 रकबा 4.68 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी संक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner